न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 538 / 2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए
मनदीप सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह जाति छिम्पा नि.बोलांवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़

— वादी

बनाम्

1. नक्षत्र सिंह पुत्र स्व. श्री करतार सिंह जाति छिम्पा नि.बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. रघुवीर सिंह पुत्र स्व. श्री करतार सिंह जाति छिम्पा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. भोलो कौर पुत्री स्व. श्री करतार सिंह जाति छिम्पा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. गुरप्रीत कौर स्व. श्री नक्षत्र सिंह जाति छिम्पा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. अमर सिंह पुत्री स्व. श्रीमति नसीब कौर पुत्री स्व. श्री करतार सिंह जाति छिम्पा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. रजनी पुत्री स्व. श्रीमति नसीब कौर पुत्री स्व. श्री करतार सिंह जाति छिम्पा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. अमनदीप कौर पुत्री स्व. श्रीमति नसीब कौर पुत्री स्व. श्री करतार सिंह जाति छिम्पा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. भागवन्ती पत्नी स्व. श्री करतार सिंह जाति छिम्पा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. पाल सिंह स्व. श्रीमति जसकौर पुत्री स्व. श्री नन्द सिंह जाति छिम्पा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. बाघ सिंह पुत्र स्व. श्री भाग सिंह जाति छिम्पा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. लखविन्द्र सिंह. पुत्र स्व. श्री जसपाल सिंह पुत्र स्व. श्री भाग सिंह जाति छिम्पा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. जितेन्द्र पुत्र स्व. श्री जसपाल सिंह पुत्र स्व. श्री भाग सिंह जाति छिम्पा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. अमनदीप कौर पुत्री स्व. श्री जसपाल सिंह पुत्र स्व. श्री भाग सिंह जाति छिम्पा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
14. नायब सिंह पुत्र स्व. श्री मुखत्यार सिंह जाति छिम्पा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
15. करनैल सिंह पुत्र स्व. श्री मुखत्यार सिंह जाति छिम्पा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
16. अजायब सिंह पुत्र स्व. श्री मुखत्यार सिंह जाति छिम्पा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
17. जरनैल सिंह पुत्र स्व. श्री मुखत्यार सिंह जाति छिम्पा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
18. गुरमीत सिंह पुत्र स्व. श्री मुखत्यार सिंह जाति छिम्पा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
19. परमजीत कौर पुत्री स्व. श्री मुखत्यार सिंह जाति छिम्पा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
20. कुलवन्त सिह पुत्र स्व. श्री सरदारा सिंह पुत्र स्व. श्री बोगा सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
21. बन्ता सिंह पुत्र स्व. श्री सरदारा सिंह पुत्र स्व. श्री बोगा सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
22. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री महावीर बेरड़ — वकील वादी
2. श्री कुलदीप मूण्ड — वकील प्रति.सं. 1 ता 21

दिनांक :— 27.10.2025

निर्णय

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता, प्रतिवादी सं. 2

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वादी का चाचा, प्रतिवादीया सं. 3 वादी की बुआ, प्रतिवादीया सं. 4 वादी की बहिन, प्रतिवादी सं. 5 ता 7 वादी की बुआ के पुत्र एवं पुत्रीयां एवं प्रतिवादीया सं. 8 वादी की दादी है जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वाद के सही न्याय निर्णयन हेतु आवश्यक होने के कारण बादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की वंषावली निम्न प्रकार से वर्णित हैं। प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता, प्रतिवादी सं. 2 वादी का चाचा, प्रतिवादीया सं. 3 वादी की बुआ, प्रतिवादीया सं. 4 वादी की बहिन, प्रतिवादी सं. 5 ता 7 वादी की बुआ के पुत्र एवं पुत्रीयां एवं प्रतिवादीया सं. 8 वादी की दादी है जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादी के स्व. दादा करतार सिंह पुत्रं श्री नन्द सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 17 बी.जी.पी. के विवादित खाता सं. 125/85 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 1968/126 हिस्सां अर्थात् 1.968 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं कुल खाता में 0.126 है. कृषि भूमि ही है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के मध्य. विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 8 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का पस्त्यिाग वादी के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं वादी मनदीप सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह जाति छिम्पा निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 17 बी.जी.पी. के विवादित खाता सं. 125/85 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 0.126 है. कृषि भूमि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 8 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 22 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है इनके विरूद्ध सीधे रूप से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि मुताबिक बंटवारा वादी को तहसील संगरिया के चक 17 बी.जी.पी. के विवादित खाता सं. 125/85 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 0.126 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक करतार सिंह, जसंकौर, बेगा सिंह, भाग सिंह, मुखत्यार सिंह, सरदारा सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वांद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी

एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

संख्या 22 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी मनदीप सिह ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरास्तन साक्ष्य में चक 17 बीजीपी के खाता संख्या 125/85 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 एव मृत्यु प्रमाण पत्र करतार सिह पुत्र नन्द सिह प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 17 बीजीपी खाता संख्या 125/85 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में वादी के स्व. दादा करतार सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भीं कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 17 बीजीपी के खाता संख्या 125/85 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 की प्रति एव करतार सिह पुत्र नन्द सिह के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति पेश की गई है जिसके आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। चक 17 बीजीपी खाता संख्या 125/85 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में वाद पत्र व अपवादित खाता में वादी के पूर्वज़ एवं प्रतिवादीगण के नाम से वाद पत्र में वर्णितानुसार कृषि भूमि पक्षकारो के नाम से दर्ज है। वाद पत्र में वर्णितानुसार काश्तकारो के नाम से भूमि तो दर्ज राजस्व रिकार्ड है किन्तु भौतिक रूप से कब्जा काश्त नही होने से अनावश्यक वाद बहुलता बढना संभावित है तथा भ्रामक स्थिति राजस्व रिकार्ड के संबध में प्रकट होती है जो काबिल दुरूस्ती है। वादपत्र में जरिये सम्मन उपस्थित प्रतिवादीगण ने भी सहमति का जवाब दावा पेश कर वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री करने पर कोई एतराज नही किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 17 बीजीपी के खाता संख्या 125/85 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 मे दर्ज कृषि भूमि का वादी मनदीप सिह को खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक करतार सिंह, जसकौर, बेगा सिंह, भाग सिंह, मुखत्यार सिंह, सरदारा सिंह के नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया